श्री राम सेवक यादव: ग्राप ने कहा कि ११५ के तहत जो पत्न ग्राप को मिला, उसे ग्राप ने भेज दिया है मंत्रालय को । जब ग्राप ने यह कह दिया, तो उसी से व्यवस्था का प्रशन उठता है। उस के बारे में ग्राप सुन लें ग्रीर किर कोई निर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । Shri Humayun Kabir.

12.28 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report of the Fertiliser Corporation of India Limited and its Review

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

- (i) Annual Report of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 1962-63, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.
- (ii) Review by the Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library, See No. LT-2079/63].

12.281 hrs.

ALLEGED INACCURACY IN STATE-MENT OF PRIME MINISTER—contd.

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़रुंखाबाद): धारा १९४ को भ्राप सुन लें। विदेश मंत्री ने यहां पर बिल्कुल गुलत बयानी की है।

Mr. Deputy-Speaker: I have told the hon. Member that the letter has been referred to the Ministry. He is still persisting. Shri Humayun Kabir.

The Minister of Petroleum and Chamicals (Shri Humayun Kabir): I have carried out your instructions, Sir.

डा॰ राम मनोहर लोहिया: वह चीन के नेताओं के सम्बन्ध में हैं। वे शायद इसी वक्त हिन्दुस्तान की हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं श्रीर विदेश मत्री ग्रगर चार पांच दिन तक जवाब नहीं देते. तो फिर क्या होगा ?

ज्याष्यक्ष महोदय : ग्रगर कोई दूसरा प्रश्न है, तो प्राप चिट्ठी भेजिये। मैं देख्ना।

डा॰ राम मनोहर लोहिया ं जो किताब में लिखा हुआ है, अध्यक्ष का उसी के अनुसार चलना चाहिए। अध्यक्ष मनमानी नहीं कर सकता है। अध्यक्ष नियमों में रहते हुए ही निर्णय दे सकता है। आप अपनी स्वेच्छ। से निर्णय दे सकते हैं, लेकिन मनमानी नहीं कर सकते। नियमों के अन्दर रहते हुए ही आप ...

Mr. Deputy-Speiker: I shall see what the hon Member's letter is and then, if necessary, I shall permit the hon. Member Otherwise, I shall see what is to be done.

डा० राम मनोहर लोहिया: मुझे शाम को ग्राप वक्त दे देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: कल।

डा॰ राम मनोहर लोहिया: बात यह है कि लोक सभा के ही काम से मुझे ग्राज रात यहां से चले जाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ग्रापको वक्त मिल जाएगा।

एक माननीय सदस्यः लोक सभा के काम मे ?

डा० राम मनोहर लोहियाः लोक सभा के लिए **ए**क उप-निर्वाचन हो रहा है।

4102

Mr. Deputy-Speaker: I shall send a reply to the hon. Member.

श्री रामसेवक यादव (बारांकी): ससे पहले कि ग्राप दूसरा प्रश्न लें, ग्राप मेरी एक बात सन लें।

Mr. Deputy-Speaker: I shall read out Direction No. 115. The hon, Member may please hear me.

श्री रामसेवक यःदव : उसके बारे में नहीं है । सुन तो लीजिये । बिना सुने श्राप जब कह देते हैं ो हम क्या करें ?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I am reading out Direction No. 115.

श्री रामसेवक यादव: सुन तो लें, मैं बैठ जाता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Direction No. 115 reads thus:

"A Member wishing to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a Minister or any other Member shall, before referring to the matter in the House, write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek his permission to raise the matter in the House."

So, the hon. Member has to seek my permission. I have to examine the records. I have sent the hon. Member's letter to the Ministry. I shall examine their reply, and afterwards if there is any mistake, I shall ask the hon. Member to make the necessary statement by way of correction. Till then, the hon. Member cannot raise that point in the House.

श्री रामसेवक यादव : इस के बारे में नहीं कह रहा हं . . .

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री रामसेवक यादव : इस के बारे में नहीं कह रहा हूं । फ्रापके सैकेटेरिएट से मझे जो एक इत्तिल मिली है, उसके बारे में कह रहा हूं। यह उसके बारे में है जो ध्यानाकर्षण का नोटिस हम ने राजस्थान में अकाल की स्थिति के बारे में दिया था। कल भी इसके बारे में मैंने कहा था और मुझे बताया गया था कि वह विचाराधीन हैं। आज भी वह विचाराधीन हैं। आज भी वह विचाराधीन में तथा जनता को खराब करने के लिए दोनों सरकारें तिकड़म जो करती हैं, उसको ती आप मान लेते हैं लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रशन को टाल दिया जाता है। वह इलाका अकालग्रस्त हैं, वहां के मुख्य मंत्री यहां आए हैं, उ होंने मंत्रालय से बातचीत भी की है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले को कल से टाला जा रहा है। आज भी इसको टाला जा रहा है। आज भी इसको टाला जा रहा है।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. The hon, Member cannot go on like this. I told the hon, Member yesterday itself that this had been referred to the Ministry. We have not yet received their reply. After the reply is received, we shall see.

श्री रामसेवक यादव : कब तक इसको इस तरह से टालते रहेंगे ? मंत्रालय से तो जवाब आएगा ही नहीं ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री बागड़ी (हिसार) : इसी सिलसिल में . . .

Mr. Deputy-Speaker: After we receive the reply I shall see what action has to be taken in the matter.

का॰ राम मनोहर लोहिया: इस नियम
में लिखा हुआ है कि मैं आप से अनुमति लूं।
अब सवाल उठता है कि क्या आप मनमाने
ंग से अनुमति को कि सकते हैं। अनुमति
आपको देनी चाहिये, अगर मैं उस नियम का
पालन करता हूं। विदेश मंत्री ने चीनी हमलावरों के बारे में एक बहुत गलत ब्यान दिया है
कि वे पेकिंग से काहिरा जा रहे हैं अंदि अगर
वे इस रास्ते से नहीं जयेंगे तो उनको उलटा
रास्ता हो जाएगा। लेकिन हिन्दुस्तान से जाने
से उल्टा रास्ता होगा। जिस रास्ते से वे जा

[डा० राम मनोहर लोहिया]

सकते थे, वहां से न जा करके हिन्दुस्तान से नाक रगड़वाने के लिए ही उन्होंने यह अनुमति मांगी थी और हम ने दे दी है। अब इस सवाल को मैं यहां न उठाऊं तो कहां उठाऊं ?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I have told the hon. Member already that I have received the letter and I have sent it to the Ministry for their reaction. Then, I shall have to examine the records and then tell the hon. Member to raise that question in the House. Till that time, the hon. Member has to wait.

An Hon. Member: What is that letter?

Mr. Deputy-Speaker: I do not know what it is, I shall examine it. We have sent that letter to the Ministry. The hon, Member says that there is some mistake in the statement made by the Minister of External Affairs.

डा॰ राम मनोहर लोहिया : हमने गलती की है, तब तो——

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री रामसेवक यादव: प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं। बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है, जवाब नहीं दिया जाता है। प्रधान मंत्री कुछ कहना भी चाहते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: I cannot allow hon. Members to go on like this and disturb the proceedings of the House.

श्री **बागड़ी** (हिसार) : डिप्टी स्पीकर साहब——

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. The hon, Member may resume his seat.

डा० राम मनोहर लोहिया : विदेश मंत्री यहां हैं, वह अपना मृंह क्यों नहीं खोलते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. The hon Member is obstructing the proceedings of the House.

डा॰ राम मनोहर लोहिया: श्राप यह न कहिये। हम भी हिन्दुस्तान की हवा श्रीर जमीन के बारे में उतने ही परेणान हैं जितना कोई ग्रीर है, बिल्क विदेश मंत्री से कुछ ज्यादा ही हैं। इसलिए जब यह सवाल यहां उठाया जाता हैं, तो कोई मतलब है तभी तो उठाया जाता है। श्राप प्रधःन मंत्री से कहते क्यों नहीं हैं कि वह जाब दें।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member is again raising the same issue.

श्री बागड़ी: प्रश्नान मंत्री जब सामने बैठे हैं तं:—

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी---

श्री रामसेवक यादव : प्रधान मंत्री कह दें तो मामला साफ हा जाए ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. He cannot give an answer offhand.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, श्राप एक ऐसी कुर्ती पर बैंठे हैं जिस पर से श्रापको निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिये। चाहे सत्ता प्राप्त पार्टी हो या विरोधी हों, श्रापके सब की बातों को ध्यान से सुनना चाहिये। श्रापको सत्ता प्राप्त पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिये। मेरा श्राप से इतना ही निवेदन है कि श्राप एक ऐसे श्रासन पर बैठे हैं जो बहुत ऊंवा है, परमात्मा जैसे सारे संसार का नियंत्रण करता है, उसी तरह से श्राप भी यहां नियंत्रण करते हैं। हम भी श्रापका श्रादर करते हैं श्रीर श्रापको हमारी बात को भी सुनना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I have told the hon. Member that I am not giving any decision now. I have to examine the statements of sides and then give a decision.

4195 Business AGRAHAYANA 20, 1885 (SAKA)
Advisory Committee Report of M

डा॰ राम मनोहर लोहिया: स्राज शाम को मैं यहां से चला जाऊंगा। इसलिए मेहरबानी करके इस प्रश्न को स्रगर स्राप महत्वपूर्ण समझते हैं स्रोर स्राज शाम को पांच बजे लेना चाहते हैं ता ले लोजिये।

Mr. Deputy-Speaker: I do not know if that will be possible. I shall try if it is possible.

श्री बागड़ी: श्रकाल वाली बात बीच में ही रह गई। लाग भूखे मर रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Now, Papers to be laid on the Table.

12.35 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE— Contd.

Mr. Deputy-Speaker: Now, Shri Humayun Kabir.

Shri Humayun Kabir: I have already laid the papers on the Table of the House.

Notification under University Grants
Commission Act

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 1209, dated the 20th July, 1963, making certain amendment to the University Grants Commission (Terms and Conditions of Service of Employees) Rules, 1958, under sub-section (3) of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956. [Placed in Library, See No. LT-2080/63].

12.35½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-SECOND REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I beg to move:

"That this House agrees with the Twenty-second Report of the 85 (SAKA) Motion ra Report of Mid-term Appraisal of Third Five Year Plan

Business Advisory Committee presented to the House on the 10th December, 1963.".

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Twenty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th December, 1963.".

The motion was adopted.

12.36 hrs.

MOTION RE: REPORT ON MID-TERM APPRAISAL OF THIRD FIVE YEAR PLAN—Contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri B. R. Bhagat on the 5th December, 1963, namely:

"That the 'Report on the Midterm Appraisal of the Third Five Year Plan' laid on the Table of the House on the 26th November, 1963, be taken into consideration.".

We shall extend the discussion till the end of this day, that is, till five o'clock, because there are a number of Members who are anxious to speak. Shri P. C. Borooah who was in possession of the House may continue his speech.

Shri Bade (Khargone): When is the hon. Prime Minister going to intervene?

Mr. Deputy-Speaker: After Shri P. C. Borooah.

Shri P. C. Borooah (Sibsagar): Yesterday I was pointing out that while our population was increasing fast, the expansion of our economy was slowing down, and even after thirteen years of our economic planning, mass poverty persisted in the country, almost in the state in which it was in the beginning.